

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

कार्यालय पत्र संख्या-2411-18 प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15 दिनांक: 27-03-2025 में औशिक संशोधन करते हुए संशोधित परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का आगणन निर्गत किया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 व अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या-194/36 -3-2014-07 (न्यूवे0)/4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03-2019 -931(न्यूवे0)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 के औसत अंक 413 पर दिनांक: 1-04-2025 से 30-9-2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त-रूपये 5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-413 पर दिनांक: 1-04-2025 से 30-9-2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(413-216)

.....X5750= ₹0-5244.21/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें।

कर्मिक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रुपये में	दिनांक:1.10.2024 से 31.3.2025 तक कुल मजदूरी (रुपये में)	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता ₹0 में	दिनांक:1.04.2025 से 30.9.2025 तक	
				दिनांक:1.04.2025 से 30.9.2025 तक	कुल मजदूरी (रुपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रुपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	10701	5244.21	10994.21	422.85
2	अधकुशल	6325	11772	5768.63	12093.63	465.13
3	कुशल	7085	13186	6461.78	13546.78	521.03

2 ईट भट्टा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है:-

कर्मिक	श्रेणी	दिनांक:1.04.2025 से 30.9.2025 तक		
1	अकुशल	उपरोक्त तालिका के कर्मिक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
2	कुशल			
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता ₹0 में	कुल मजदूरी(रुपये में)
2	पथरा	₹0-365	₹0-332.89	रुपया-697.89/- प्रति हजार
	भराईवाला			
	(1) 500 मीटर की दूरी तक	₹0-110	₹0-100.32	रुपया-210.32/- प्रति हजार
	(2) 500 मीटर से अधिक	₹0-132	₹0-120.38	रुपया-252.38/- प्रति हजार
3	निकासी वाला	₹0-110	₹0-100.32	रुपया-210.32/- प्रति हजार

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
- मिष्ठान उद्योग।
- वासित पेयो(एरोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- डरी और मिल्क डरी।
- सिल सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- बॉय टटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
- ढलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शॉपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रग उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- धर्म शोधनशाला और धर्म विनिर्माणशाला।
- धर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी संकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोथिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राथमिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
- तम्बाकू विनिर्माण।

- 24 धर्मशाला।
- 25 वानिकी(कारेस्ट्री) लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- 26 दुकानों में।
- 27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
- 28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- 29 तेल मिल।
- 30 लोक मीटर परिवहन।
- 31 यंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
- 32 आटोमोबाइल रिपेयर कर्मशाला।
- 33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संकियाओं।
- 34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
- 35 पिकन के कार्य।
- 36 दियासलाई उद्योग।
- 37 आइसक्रीमी/आईसकीम विनिर्माणशाला।
- 38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
- 39 बर्फ विनिर्माणशाला।
- 40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
- 41 लाण्डी और धुलाई अधिष्ठान।
- 42 जिल्दसाजी।
- 43 कोल्ड स्टोरेज।
- 44 पाटरी, सिरीमेक्स या रिफैक्ट्रीज।
- 45 निजी मुद्रणालय।
- 46 सिनेमा उद्योग।
- 47 कपड़ा छपाई।
- 48 सिलाई उद्योग।
- 49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
- 50 क्लब
- 51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
- 52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का घूर्ण या प्रसारक विनिर्माण।
- 53 ऊनी कंबल बनाने के अधिष्ठान।
- 54 खाण्डसारी।
- 55 हथकरघा उद्योग।
- 56 शक्ति घालित करघा उद्योग।
- 57 छोटा(मिनिचर) बल्ब एवं कॉच उत्पादों के निर्माण।
- 58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
- 59 ईट लट्टा उद्योग।
- 60 ताला उद्योग के नियोजन में।
- 61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
- 62 किसी निजी सुखा और सेवा प्रदाता अनिकरण में नियोजित सुखा कर्मी(सुखा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हो।
- 63 बूहारने और सफाई में नियोजन जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रातिरोध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध किया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
- 64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
- 65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
- 66 एलओजीओवितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 67 टैक्सिज, आटोरिक्षा/टैम्पो एवं ट्रेवलिंग अनिकरण में नियोजन।
- 68 कैंबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 69 गैर सरकारी संगठन(एनओजीओ) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 70 विद्युत संवर्धन(विद्युत संवर्धन(सेवा शर्त) अधिनियम 1978 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
- 71 हेयर कटिंग सैलून एवं व्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायों) में नियोजन।
- 72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
- 73 काल सेंटर/आईटीओ इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
- 74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

(मार्कण्डेय शाही)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।
संख्या 2128-35 प्रवर्तन-(एमओडब्ल्यू)/15 दिनांक 28/03/2025

- 1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त जो प्रो को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्था अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराए।
- 2 अनुसंधित उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
- 3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)नारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल webagcell@nic.in के माध्यम से
- 4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 5 उप श्रम आयुक्त(आईओआर), मुख्यालय, कानपुर।
- 6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर) मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- 7 श्री हिमांशु कुमार पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- 8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

Signed by
Markandeya Sahi

(मार्कण्डेय शाही)
Date: 28-03-2025 17:33:08